तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
18/10/24	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष [illegible] पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र [illegible] [illegible] एक प्रकरण [illegible] योग्य होने से [illegible] का [illegible] जाता है। [illegible] निर्णय [illegible] से किया गया। प्रकरण [illegible] पत्रावली [illegible] हो [illegible] [illegible]
[illegible] 18/10/24	उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई

न्यायालय उपजिला कलेक्टर एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, बॉदीकुई, जिला दौसा

मु.न. 82/2023
प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा
निर्णय दिनांक 18.10..2024

उनवान

1. बाबूलाल पुत्र रामलाल जाति माली निवासी बाढ बिशनपुरा तहसील बॉदीकुई ।

प्रार्थी.....।

बनाम

1. मोहन लाल पुत्र रामलाल जाति माली निवासी बाढ बिशनपुरा तहसील बॉदीकुई ।
2. उपपंजीयन अधिकारी, उपपंजीयन कार्यालय बॉदीकुई

अप्रार्थीगण.....।

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय 18.10.2024

प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध न्यायालय हाजा में दावा तकास्मा के साथ प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का न्यायालय हाजा में पेश किया गया जिसका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार हैः— एक न्यायालय हाजा में सम्पुष्ट आधारो पर पेश कर दिया है जिसमें प्रार्थी को कामयाबी की पूरी पूरी आशा है। ग्राम बाढ बिशनपुरा पटवार हल्का नारायणपुरा तहसील बॉदीकुई जिला दौसा में भूमि खेवट खतौनी संख्या नई 10 पुरानी 6 के खसरा नम्बर 132 रकबा 0.45 है0, खसरा नम्बर 135 रकबा 1.50 है0, खसरा नम्बर 137 रकबा 0.45 है०, खसरा नम्बर 142 रकबा 0.93 है0, खसरा नम्बर 149 रकबा 0.57 है०, खसरा नम्बर 150 रकबा 0.44 है0, खसरा नम्बर 156/193 रकबा 0.89 है०, खसरा नम्बर 157 रकबा 1.22 है०, खसरा नम्बर 165 रकबा 0.07 है०, खसरा नम्बर 202ध141 रकबा 1.60 है० कुल किता 11 कुल रकबा 8.83 है० वार्षिक लगानी 263 रूपये 14 पैसे स्थित है। भूमि मुतदाविया वर्णित पैरा नं0 2 प्रार्थना पत्र प्रार्थी एवंम अप्रार्थी नं० 1 एवंम दावे के प्रतिवादी संख्या 2 ला0 48 की सामलाती कब्जे काश्त व सखातेदारी की भूमि है भूमि में प्रार्थी का 5/118 वां हिस्सा है भूमि मुतदाविया जिसका अभी तक विधिवत सरस नरस के अनुसार तकासमा नहीं हुआ है जिसको मौके पर बाहमी तौर बांट रखा है तथा प्रार्थीया अपने हक हिस्से व अधिकार की भूमि पर काश्त कर मुफीद होता चली आ रही है लेकिन भूमि का तकासमा नही होने के कारण आये दिन पक्षकारान में कमती ज्यादा भूमि को लेकर व फसल बोते समय व काटते समय व लगान जमा कराते समय आपस में विवाद हो जाता है ऐसी सूरत में भूमि मुतदाविया का कब्जे के अनुसार सरस नरस के अनुसार कब्जे के अनुसार तकासमा किया जाकर प्रार्थी के हिस्से का अलग चक व अलंग खाता कायम किया जाकर अलग अलग चक व अलग लगान व अलग अलग खाते कायम किये जाकर अलग अलग पास बुके जारी की जावें । अप्रार्थी संख्या 1 के मनमें अब बदयान्ती हो गयी है तथा वे अब बिना भूमि का विधिवत तकासमा हुये ही भूमि पर अपना नाजायज जबरिया अतिक्रमण करते हुये पुख्ता निर्माण करके दीगर सख्स को रहन व बय करने पर आमादा है तथा कृर्षि भूमि को अकृर्षि में तब्दील करने पर आमादा है तथा धमकि दे रहे है कि

Scanned with OKEN Scanner

न तो भूमि का तकासमा करवायेगे न ही प्रार्थी को उसकी भूमि का उपयोग करने देगे हम हर सूरत में प्रार्थी के हिस्से मे आयी भूमि पर अपना नाजायज जबरिया कब्जा करके पुख्ता निर्माण करके रहेगे तथा ऐसे लोगो को रहन व बेचान करके रहेगे जो कि लाठी के जोर पर प्रार्थी को बेदखल कर देगे । तथा प्रार्थी को उसकी भूमि में काश्त नहीं करने देंगे। ऐसी सूरत में प्रार्थी अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा इस अमर से पाबंद करवाने की अधिकारी है कि अप्रार्थीगण, प्रार्थी की भूमि पर अपना नाजायज जबरिया कब्जा करने की कोशिश करने से, भूमि मुतदाविया पर किसी भी प्रकार का खाम या पुख्ता निर्माण करने से, भूमि पर प्रार्थी को फसल बोते समय व काटते समय किसी भी प्रकार का झगडा फिसाद करने से, अपना नाजायज जबरिया कब्जा कर खाम व पुख्ता निर्माण करके किसी दीगर सख्स को रहन व बय करने से, कृर्षि भूमि को अकृर्षि में परिवर्तित करने से, पेड पोधो को काटने से खोदने से अर्थात किसी भी प्रकार की मजाहमत पैदा करने से दवामि तौर पर बाज व मुमतनाह रहें । एवंम अप्रार्थी संख्या 2 बहैसियत भूमिधारी राजस्व रिकार्ड में किसी प्रकार की तब्दीली करने से एव अप्रार्थी नं0 2 बहैसियत उपपंजीयन अधिकारी अप्रार्थी सं० 1 के द्वारा पेश किये जाने वाले किसी भी रहननामा बयनामा आदि को पंजीकृत करने से पाबंद रहें । राजस्व रिकार्ड की व मौके की यथावत स्थिति बनाये रखे । अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थी के विरूद्ध एक नाजायज गिरोह बना रखा है तथा प्रार्थी से आये दिन झगडा फिसाद करते रहते है दिनांक 8/7/2023 को अप्रार्थी भूमि मुतदाविया पर टैक्टर व जेसीबी मशीन लेकर आ गये और बजरी पत्थर आदि डालने लग गये तथा नींव खोदने लगे तथा कहने लगें कि अब हम प्रार्थी को उसकी भूमि पर काश्त नहीं करने देगे यदि प्रार्थी भूमि पर आया तो जान से मार देगे प्रार्थी ने उनसे कहा कहा कि तुम्हारा इस भूमि से कोई लेना देना सम्बन्ध व सरोकार नही है तो प्रार्थी को जान से मारने पर आमादा हो गये । तथा बिना तकासमा हुये ही प्रार्थी के खेतो को रहन करने, व बेचान करने की बाबत बातचीत करने लगे व भूमि को दिखाने लगे प्रार्थी ने अप्रार्थी को मना किया तो अप्रार्थी ने कहा कि अब हम प्रार्थी के खेतो को बेच कर रहेगे व रहन करके रहेगे तथा प्रार्थी के खेतो में जबरन कब्जा करके निर्माण करने की धमकि दी कि अब हम भूमि को दीगर लोगो को बेचान करके रहेगे तथा तुम्हे बेदखल करके रहेगे तथा काश्त नहीं करने देगे जिस पर प्रार्थी ने अप्रार्थी से कहा कि पहले भूमि का आपसी सहमति के आधार पर तकासमा करवालो फिर आप अपने हिस्से की पर चाहे तुम निर्माण करो या भूमि को बेचान कर देना या अपनी सुविधा के अनुसार उपयोग में लेना, तो अप्रार्थी तकासमा करवाने से भी साफ इंकार हो गये यदि अप्रार्थी अपने नाजायज मकसद की पूर्ति में कामयाब गये तो प्रार्थी को नुकसान अजीम नाकाबिले तायुन व तखमीना होगा जिसकी क्षतिपूर्ति सी भी प्रकार से सम्भव नही हो सकेगी व गैर जरूरी किस्म के मुकदमात दरम्यान फरीकेन पडेगे जो बाय से बरबादी प्रार्थी होगे ऐसी सूरत में सिवाय प्रार्थना पत्र के और कोई चारा र नही आया इस कारण प्रार्थना पत्र पेश करना लाजिम आया प्रथम दृष्टया केश सुविधा सन्तुलन व अपूर्णिय क्षति का सिद्वान्त प्रार्थी के हक में बखूबी साबित है । अतः प्रार्थना मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा इस अमर बंद किया जावे कि अप्रार्थी स्वय या अपने एजेन्टो नौकरो घरवालो या अन्य मददगारान

Scanned with OKEN Scanner

के व अधिनस्थ कर्मचारीयो के वादग्रस भूमि में अप्रार्थी संख्या 1 विधिवत तकासमा होने तक भूमि मुतदाविया की मौके की मौके की एवम राजस्व रिकार्ड की यथावत स्थिति बनाये रखें ।

प्रकरण में प्रार्थी को सुनने के बाद दिनांक 1907.2023 को अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गई। प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण की गई। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र मौका मिश्नर नियुक्त किये जाने बाबत पेश किया गया जिसका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है उपरोक्त अनुवानी मुकदमा सदर में एक दावा तकात्मा व स्थायी निषेधाज्ञा व उसके साथ अस्थायी निषेधा का प्रार्थना पत्र पेश किया गया। बाद सुनवाई प्रार्थना पत्र अत्थायी निषेधाज्ञा मे टी० आई० अन्तिरिम स्थान आदेश दिनाँक 19/7/2023 को आगामी आदेश तक विवादित भूमि काश्त खसरा नम्बरान जो दाव व प्रार्थना पत्र में जि० नं 2 में अंकित है जिसका राजस्व रिकोर्ड व मौका स्थिति बनाये रखने हेतु अप्रार्थीगण को पाबन्द किया हुआ है । विवादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 202/141 रकबा 1.60 हैक्टे० वाकै रामा बाढ बिशनपुरा तहसील बसवा में स्थित है जिसमें प्रार्थी का 1/3 मेसे 1/2 हिस्सा है जिस पर अप्रार्थी ने जबरदस्ती बिना कोई अधिकार के जबरदस्ती कृष्णा रिसोर्ट का निर्माण कर लिया जबकि उक्त खसरा नम्बर की भूमि 1/2 प्रार्थी के कब्जे व खातेदार है जिस पर अप्रार्थी ने लाठी एवम् डण्डे के बल पर प्रार्थी की कब्ज शुदा व खातेदारी की भूमि को जबरन कृषि भूमि को अकृषि में परिवर्तन कर बिना कोई आज्ञा व धिकार के पुख्ता कृष्णा रिसोर्ट का निर्माण कर लिया इसलिये प्रार्थी की भूमि पर बने कृष्णा रिसोर्ट को आगामी आदेश तक पाबन्द किया जाये कि वो किसी भी प्रकार का पुख्ता निमाण न करे व कोई रिसोर्ट के कार्य को चालू रखे इस कारण पत्रावली पर सही वस्तु स्थिति लाने के लिये मौका कमिश्नर आवश्यक है क्यों कि अप्रार्थी विवाद ग्रस्त भूमि को खुर्द खुर्द कर व पुख्ता निर्माण कर वत्तु स्थिति के बदलने में लगा हुआ है इस कारण प्रार्थना पत्र कमिश्नर पेश करना आवश्यक हुआ है । अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि किसी भी सक्षम मौका मुआयना कमिश्नर को नियुक्त किया जाकर मौके की सही व वास्तविक स्थिति को अदालत हाजा के रिकोर्ड पर मॅगवाया जाने की कृपा की जावे । प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से निम्न जवाब पेश किया है कि प्रार्थना पत्र का पेरा नम्बर 1 गलत एवं अस्वीकार है प्रार्थी ने बिना किसी आधार के दावा जुदा गाना न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किया है जो अवश्य ही खारिज होगा। पैरा नम्बर 2 जमाबन्दी के सम्बन्ध है इसलिये जवाब मोहताज नही है। प्रार्थना पत्र पैरा नम्बर 3 जिस तरह से तहरीर किया है गलत है अस्वीकार है सही तथ्य यह है कि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 सगे भाई है तथा दोनों भाईयो द्वारा उक्त जमाबन्दी में अंकित भूमि सभी खातेदारों की सहमति से काफी वर्षों पूर्व बाँटकर पुख्ता दीवार बनाकर कब्जाकर रखा है, लेकिन वर्तमान में प्रार्थी के मन में बदनियती आने से अप्रार्थी की उक्त कब्जे शुदा व पुख्ता निर्माण शुदा भुमि प्रार्थी हडपना चाहता है। तकास्मे की आड में हडपना चाहता है। प्रार्थना पत्र का पेरा नम्बर 4 गलत एवं अस्वीकार है तथा उक्त समस्त कब्जे शुदा भुमि व जमाबन्दी में दर्ज भुमि नगरपालिका पेराफेरी क्षेत्र में आ चुकी है तथा समस्त भुमि जमीन में पानी के अभाव के कारण आबादी में परिवर्तित होने जा रही है तथा दोनो पक्ष व अन्य खातेदारों ने उक्त भुमि पर पुख्ता निर्माण कर कब्जा प्राप्त कर रखा है। प्रार्थना पत्र का पेरा नम्बर 5 गलत है अस्वीकार है दिनांक 08.07.2023 को मिन अप्रार्थी कोई ट्रैक्टर जेसीबी मशीन लेकर नही आए तब मिन

Scanned with OKEN Scanner

अप्रार्थी ने सन 2021 में ही खसरा नम्बर 202/141 में कृष्णा रिसोर्ट का पुख्ता निर्माण कर रखा है तथा स्वीमिंग पुल बना रखा है तथा पुख्ता निर्माण में कमरे, हॉल, रसोई, लॉन बना रखा है तथा उक्त भुमि पर विद्युत कनेक्शन ले रखा है तथा उपयोग ले उपभोग करता चला आ रहा हैं तथा उक्त मैरिज हॉम की लम्बाई–चौडाई पूर्व में 134.85 मीटर पश्चिम में 133.75 मी उत्तर में 45.50 मीटर दक्षिण में 36.50 मीटर कुल 5530.47 वर्गमीटर है तथा मिन अप्रार्थी द्वारा उक्त मैरिज गार्डन व रिसोर्ट में कमरे, हाल, लॉन, रसोई, लैटिंग बाथरूम स्वीमिंग पुल, पार्किंग एरिया, फूड प्लेटफार्म संलग्न साइट प्लान बना रखा है जिसमें श्रीमान अप्रार्थी अपने रिश्तेदार महेश कुमार सैनी के साथ पिछले 2–3 वर्षों से मैरिज हॉम चला रहा है तथा उक्त भूमि के चारो तरफ 8 फुट उंची पुख्ता बाउण्ड्री बना रखी है उक्त भुमि कि मिन अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी को खसरा नम्बर 187 में से 459 वर्गमीटर भुमि अधिक दे रखी है जिस पर प्रार्थी सन 2021 से तारबन्दी करके काबिज है जिसकी नाप प्रार्थी की पूर्व मे 38.25 मीटर, पश्चिम में 40 मीटर, उत्तर में 47.25 मीटर, दक्षिण में 46.90 मीटर कुल 1844.16 वर्गमीटर है जिस पर प्रार्थी काबिज है तथा मिन अप्रार्थी की भूमि पूर्व में 40 मीटर पश्चिम में 41.60 मीटर, उत्तर में 32 मीटर, दक्षिण में 35. 90 मीटर कुल 1385.16 वर्गमीटर है जिस पर मिन अप्रार्थी काबिज है अर्थात कुल 459 वर्गमीटर भुमि अधिक पर प्रार्थी काबिज है। पेरा संख्या 6 गलत है अस्वीकार है प्राइमा फेसाई केस मिन अप्रार्थी के हक मे साबित है सुविधा का संतुलन मिन अप्रार्थी के पक्ष मैं है तथा अपूर्णीय क्षति प्रार्थी के बजाय मिन अप्रार्थी की होगी। क्योंकि मिन अप्रार्थी द्वारा अपनी रोजी रोटी के लिए उक्त मैरिज गार्डन व रिसोर्ट बना रखा है उसे प्रार्थी बदनियति पूर्वक अस्थाई निषेधाज्ञा की आड़ में अप्रार्थी को महरूम करना चाहता है। प्रार्थी द्वारा बदनियती पूर्वक समस्त भुमि का तकस्मा समस्त खातेदारों से नही चाहकर मात्र मिन अप्रार्थी को हैरान व परेशान करने के लिए अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र मात्र मिन अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया है विधिका सिद्धान्त है कि यदि कोई भी खातेदार तकास्मा का दावा करता है तो वह सम्पूर्ण भुमि के खसरा नम्बरान का समस्त खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थाना पत्र प्रस्तुत करेगा जबकि प्रार्थी ने मात्र मिन अप्रार्थी के विरूद्ध मिन अप्रार्थी के कब्जेशुदा पुख्ता निर्माण शुदा भुखण्ड के खसरा नम्बर 202/141 के लिए अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं। प्रार्थी की अन्य जमीन खसरा नम्बर 183 पर मिन प्रार्थी 5 फुट उंची बाउण्ड्री चारो तरफ करके काबिज है तथा प्रार्थी खसरा नम्बर 182 पर सम्पूर्ण हिस्से व खसरा नम्बर 131 के पुस्तैनी शामलाती मकान पर बाहमी तौर पर प्रार्थी को सौप रखा है जो कि 220 वर्गमीटर भुमि अधिक प्रार्थी के पास मिन अप्रार्थी की मौजुद है इसलिए समस्त भुमि में खसरा नम्बर 130 व 128/192 में दोनों प्रार्थी व अप्रार्थी समान हिस्से पर काबिज है अर्थात समस्त भुमि पर सभी पक्षकारान में बाहमी तकस्मा कर अपना अपना कब्जा प्राप्त कर रखा है तथा पुख्ता निर्माण कर रखा है प्रार्थी के रिटायन होने के बाद अब मनमें बदनियति आ जाने का कारण उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जबकि मिन अप्रार्थी उक्त खसरा नम्बर 202ध141 में करोडों रूपये लगाकर पुख्ता निर्माण संलग्न साइट प्लान करने के बाद प्रार्थी उक्त भूमि से येन केन प्रकरण बेदखल करने पर आमादा है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र रूप हर्जा खर्चा खारिज फरमाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे। प्रतिवादी द्वारा प्रार्थना पत्र मौका कमिशन

Scanned with OKEN Scanner

नियुक्ति किये जाने बाबत जवाब पेश नही किया गया। प्रकरण में बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराते हुये प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया अप्राथी अधिवक्ता द्वारा बहस का जवाब देते हुये तर्क किया है कि विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने दौराने बहस जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुये एवं वादग्रस्त भूमि में धारा 177 की कार्यवाही होने का कथन करते हुये प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाये जाने ओर अन्य कोई अन्तोष जो अप्रार्थीण के हित में हो ओर प्रदान करने का निवेदन किया गया है।

अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र के विनिश्चिय हेतु तीन आधारभूत विचारणीय बिन्दु है जो इस प्रकार हैः–

1. प्रथम दृष्टया मामला
2. सूविधा का संतुलन
3. अपूर्णीय क्षती।

प्रथम दृष्टया मामला

प्रथम दृष्टया मामला के बिन्दु पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई दौराने बहस विद्वान प्रार्थीगण का तर्क रहा है कि भूमि खेवट खतौनी संख्या नई 10 पुरानी 6 के खसरा नम्बर 132 रकबा 0.45 है0, खसरा नम्बर 135 रकबा 1.50 है0, खसरा नम्बर 137 रकबा 0.45 है०, खसरा नम्बर 142 रकबा 0.93 है0, खसरा नम्बर 149 रकबा 0.57 है०, खसरा नम्बर 150 रकबा 0.44 है0, खसरा नम्बर 156/193 रकबा 0.89 है०, खसरा नम्बर 157 रकबा 1.22 है०, खसरा नम्बर 165 रकबा 0.07 है०, खसरा नम्बर 202ध141 रकबा 1.60 है० कुल किता 11 कुल रकबा 8.83 है० वार्षिक लगानी 263 रूपये 14 पैसे स्थित है जो सामलाती भूमि है अप्रार्थीगण विधिवत तकास्मा होने तक भूमि मुतदाविया की मौके एवं राजस्व रिकार्ड की यथावत स्थिति बनाये रखे जाने से पाबन्द फरमावे।

इसके विपरित विद्वान अप्रार्थीगण द्वारा यह कथन किया गया है कि जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुये प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाये जाने ओर अन्य कोई अन्तोष जो अप्रार्थीण के हित में हो ओर प्रदान करने का निवेदन किया गया है।

उभय पक्षो के तरको से मनन व पत्रावली के अवलोकन से न्यायालय के समक्ष यह स्पष्ट है कि पत्रावली पर पेश दस्तावेजात में उक्त विवादित भूमि वादग्रस्त भूमि खाता संख्या नया 10 पुराना 6 ग्राम बाढबिशनपुरा प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 व अन्य खातेदारान की सामलाती भूमि है। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज के आधार पर खसरा नम्बर 202/141 में बिना रूपान्तरण कराये अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग कर भूमि का स्वरूप बिगाड दिया है जिसके कारण न्यायालय हाजा द्वारा उक्त खसरा नम्बर पर 177 की कार्यवाही जेरकार है शामलाती भूमि में किसी खातेदार को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित नही है। तथा खसरा नम्बर 202/141 में पर धारा 177 की कार्यवाही जैरकार है। ऐसे में प्रार्थीगण प्रथम दृष्टया मामला अपने पक्ष में साबित नही कर पाये है अतः प्रार्थीगण के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला बनना नही पाया जाता है।

2 सूविधा का संतुलन तथा 3 बिन्दु अपूर्णीय क्षती

इन दोनो बिन्दुओ का निस्तारण सुविधा की दृष्टि से एक साथ किया जा रहा है जहा तक सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षती के बिन्दु का संबंध है इस संबंध में न्यायालय की राय है कि प्रथम दृष्टया पत्रावली पर ऐसा कोई तथ्य नही आया है। जिससे यह साबित

Scanned with OKEN Scanner

हो की वादग्रस्त भूमि का रहन बय किया जा रहा हो। वादग्रस्त भूमि के खसरा नम्बर 202/141 में न्यायालय द्वारा 177 की कार्यवाही भी की हुई है तथा वादग्रस्त भूमि सामलाती भूमि है ऐसे में किसी सहखातेदार को उसकी खातेदारी भूमि से अस्थाई निषेधाज्ञा पावन्द किया जाना उचित नही है। प्रार्थी को तीनो ही बिन्दु अपने पक्ष में प्रमाणित करने होते है यदि तीनो में से एक भी बिन्दु वह अपने पक्ष में प्रमाणित करने में असफल रहता है तो अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही कि जा सकती है हस्तगस्त प्रकरण में भी प्रार्थीगण द्वारा प्रथम दृष्टया मामले का बिन्दु अपने पक्ष में साबित नही किया है। जहां तक प्रार्थी द्वारा मौका कमिशन प्रार्थना पत्र का पेश किया गया। वाद साबित करने हेतु प्रार्थी की स्वंय की जिम्मेदारी होती है। वादग्रस्त भूमि के खसरा नम्बर 202/141 में निमार्ण के संबंध में न्यायालय में 177 की कार्यवाही भी विचाराधीन है। ऐसे में मौका कमिशन प्रार्थना पत्र का कोई औचित्य नही है। अतः सुविधा का संतुलन व अपूणीय क्षती का बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में नही है। ये दोनो बिन्दु ही उक्त अनुसार प्रार्थीगण के विरूद्ध निर्णीत किये जाते है परिणाम स्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अस्वीकर किये जाने योग्य है

आदेश

अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संन्दर्भ में प्रार्थीगण प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन,अपूर्णीय क्षति, तीनो ही बिन्दु अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहे है इसलिये प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर संल्गन वाद पत्र रहे।

18.10.24

(रामसिंह राजावत)
आर.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

आज दिनांक 18.10.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया

18.10.24

(रामसिंह राजावत)
आर.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

Scanned with OKEN Scanner